न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान रामप्रताप बनाम कालूराम आदि

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट क्रमांक 430 / 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
30.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया प्रश्नगत भूमि मुताबिक घरेलू बंटवारा अपीलाट के कब्जा काश्त में प. नं. 181/381 (58) किला नं. 1 ता 4 अपलाण्ट के कब्जा काश्त में है लेकिन राजीनामा एवम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कालूराम ने जानबूझकर किला नं. 3, 4, 7, व 8 दर्ज करवा दिया तथा किला नं. 1 व 2 अपने कब्जा काश्त में होना बताया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कालूराम रामप्रताप का बड़ा भाई है जो कार्ट कचहरी के सम्पूर्ण काम वो ही करता था तथा वकील वगैराह उनके ही जानकार थे कालूराम ने अपीलाण्ट को इस मामला में बताया की मुताबिक कब्जा काश्त बंटवारा किया है इसलिए तुम दस्तख्त कर दो अपीलांट ने विश्वास करते हुए तथा अनपढ काश्तकार होने के कारण अंकगणितिय पत्थर किला न की समझ कम होने के कारण अपीलाण्ट ने दावा व राजीनामा पर दस्तख्त कर दिये तथा उनके आधार पर अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की गई जो काबिल खारिज है। अपीलाण्ट के साथ धोखा हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली अब बिना कब्जा के सिंचाई विभाग से पानी की बारी बदलवाकर पानी की पर्ची अपने नाम से जारी करवाना चाहता है। यदि अप्रार्थी यानि रेस्पोडेण्ट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी की सिचांई सुविधा को अव्यवस्थित हो जायेगी। अतः रेस्पोडेण्ट को पाबंद किया जावे कि जहां सिंचाई हो रही है,उसमें ताफैसला अपील परिवर्तन नही करे तथा यथास्थिति बनाये रखे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करते हुए कथन किया कि चक 21 ए.जी. के प. नं. 181/381 किला नं. 1 व 2 पर अपीलाण्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। बल्कि उक्त दो बीघा भूमि पर रेस्पोडेण्ट का ही कब्जा काश्त रहा है। रेस्पोडेण्ट को प्राप्त कुल 2.530 है0 भूमि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में से कमाण्ड भूमि की बारी मन प्रार्थी के पिता स्व0 ईमीलाल पुत्र रावतराम के नाम दर्ज थी जिसे अपने नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया व बाद जांच जल संसाधन विभाग द्वारा प्रार्थी की कमाण्ड भूमि की बारी प्रार्थी के नाम जारी करने के आदेश हो चुके हैं अपीलाण्ट बिना किसी आधार के स्थगन आदेश प्राप्त करने व सक्षम अधिकारी के आदेश की पालना नहीं होने दे रहा है। अपीलाण्ट को जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से आपत्ति है तो उक्त आदेश में सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी के अपील कर सकता है। अपीलाधीन आदेश राजीनामा के आधार पर राजस्व अभियान में पारित किया गया है एवं राजीनामा के आधार पर पारित आदेश को अपील के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अपील लगभग 6 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अतः मियाद बाहर अपील में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह अपील पेश की है जिसमें रेस्पोडेण्ट की सिंचाई सुविधा को अव्यस्थिति कर सिंचाई में बाधा पैदा न करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा है। प्रथमतः तो यह अपील राजीनामा द्वारा की गई डिक्री के विरूद्ध मियाद बाहर प्रस्तुत की है। द्वितीय यदि अपीलाट के जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से आपत्ति है तो उक्त आदेश में सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलाण्ट ने स्वयं राजीनामा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में

प्रकरण का निस्तारण करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हैं। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान था इसके बावजूद अपीलाण्ट ने यह अपील लगभग 6 वर्ष बाद यह अपील पेश की है इतने लम्बे विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिलदफ्तर हो।

30/1/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़